POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 09.04.2026

1.थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा इंटरनेट पर विज्ञापन चलाकर ऑनलाइन डायलर के माध्यम से विदेशी नागरिकों को हैकिंग एवं डाटा चोरी का भय दिखाकर साइबर धोखाधड़ी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 16 अभियुक्त गिरफ्तार; कब्जे से 04 लैपटॉप, 15 डेस्कटॉप, 15 मॉनिटर, 16 मोबाइल फोन, 16 माइक-हेडफोन सहित अन्य उपकरण बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 09.04.2026 को थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व संकलित तकनीकि सूचनाओं के आधार पर इंटरनेट पर पेड विज्ञापन चलाकर ऑनलाइन डायलर के माध्यम से विदेशी नागरिकों को हैकिंग एवं डाटा चोरी का भय दिखाकर साइबर धोखाधड़ी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 16 अभियुक्त 1. विवेक ठाकुर 2. गौरव सिंह 3. गौरव गुप्ता 4. अभिषेक मसीह 5. अश्वनी कुमार 6. रोहन शर्मा 7. सन्त कुमार 8. उपेन्द्र सिंह उर्फ रोहित सिंह 9. अंकुश चौरसिया 10.आयुष चौबे 11. सुदीप सिंह 12. अनुपम सक्सेना 13. अभिषेक मौर्य 14. शिवम पाठक 15. प्रदीप कुमार सिंह 16. वरुण गुप्ता को सेक्टर-16 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 04 लैपटॉप, 15 डेस्कटॉप, 15 मॉनिटर, 16 मोबाइल फोन, 16 माइक-हेडफोन, 02 राउडर, 01 मॉडम बरामद किया गया है।

घटनाक्रम का विवरण-- अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि वे इंटरनेट एवं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेड विज्ञापन चलाकर विदेशी नागरिकों को आकर्षित करते थे। इन विज्ञापनों में टोल-फ्री नंबर प्रदर्शित किए जाते थे, जिन पर कॉल करने के लिए विदेशी नागरिकों को प्रेरित किया जाता था। विज्ञापन देखने के पश्चात जैसे ही विदेशी नागरिक उक्त नंबरों पर कॉल करते थे, कॉल अभियुक्तगण के लैपटॉप में इंस्टॉल कॉलिंग सॉफ्टवेयर पर प्राप्त होती थी, जिसमें टोल-फ्री नंबर पूर्व से ही कॉन्फ़िगर किए गए थे। कॉल प्राप्त होने पर अभियुक्तगण स्वयं को टेक्निकल सपोर्ट एजेंट बताकर विदेशी नागरिकों को यह विश्वास दिलाते थे कि उनका कंप्यूटर अथवा डिवाइस हैक हो गया है। इसके उपरांत वे स्क्रीन-शेयरिंग एप्लीकेशन के माध्यम से पीड़ित के सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर लेते थे तथा उसकी बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल कर लेते थे। वास्तविक हैकिंग का भय उत्पन्न करने हेतु वे कंप्यूटर स्क्रीन को ब्लैक कर देते थे, जिससे पीड़ित उनकी बातों में आ जाते थे।

इसके पश्चात अभियुक्तगण प्राप्त बैंकिंग क्रेडेंशियल्स के माध्यम से पीड़ित के खाते में उपलब्ध धनराशि का आकलन करते थे। यदि खाते में कम धनराशि होती थी, तो वे 100 से 500 डॉलर तक की रकम वसूलते थे। वहीं, यदि खाते

में अधिक धनराशि पाई जाती थी, तो कॉल को अपने सीनियर सहयोगियों के पास ट्रांसफर कर दिया जाता था, जो उसी कॉलिंग सॉफ्टवेयर से जुड़े रहते थे और आगे की धोखाधड़ी की प्रक्रिया संचालित करते थे।

इस प्रकार धोखाधड़ी से अर्जित धनराशि को अभियुक्तगण क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से परिवर्तित कर हवाला चैनल के जरिए प्राप्त करते थे तथा आपस में बांट लेते थे। अब तक की पूछताछ एवं अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन एवं लैपटॉप के विश्लेषण से करोड़ों रुपये के लेन-देन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. विवेक ठाकुर पुत्र ओमकार ठाकुर, निवासी दिल्ली, उम्र 32 वर्ष।
2. गौरव सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह, निवासी नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उम्र 36 वर्ष।
3. गौरव गुप्ता पुत्र अभिलाष गुप्ता, निवासी नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उम्र 29 वर्ष।
4. अभिषेक मसीह पुत्र स्व0 राजीव मसीह, निवासी दिल्ली, उम्र 30 वर्ष।
5. अश्वनी कुमार पुत्र राजकुमार, निवासी दिल्ली, उम्र 30 वर्ष।
6. रोहन शर्मा पुत्र राज कुमार शर्मा, निवासी दिल्ली, उम्र 23 वर्ष।
7. संत कुमार पुत्र स्व0 पूरन चंद्र, निवासी दिल्ली, उम्र 23 वर्ष।
8. उपेंद्र सिंह उर्फ रोहित सिंह पुत्र राकेश सिंह, निवासी गौतमबुद्धनगर, उम्र 33 वर्ष।
9. अंकुश चौरसिया पुत्र अशोक कुमार, निवासी गाजियाबाद, उम्र 34 वर्ष।
10. आयुष चौबे पुत्र ओम प्रकाश चौबे, निवासी गाजियाबाद, उम्र 32 वर्ष।
11. सुदीप सिंह पुत्र मनजीत सिंह, निवासी ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर, उम्र 30 वर्ष।
12. अनुपम सक्सेना पुत्र महेंद्र शंकर सक्सेना, निवासी गाजियाबाद, उम्र 44 वर्ष।
13. अभिषेक मौर्य पुत्र महेंद्र मौर्य, निवासी ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर, उम्र 32 वर्ष।
14. शिवम पाठक पुत्र स्व0 राजेश पाठक, निवासी नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उम्र 27 वर्ष।
15. प्रदीप कुमार सिंह पुत्र हुकम सिंह, निवासी जालंधर (पंजाब), उम्र 36 वर्ष।
16. वरुण गुप्ता पुत्र स्व0 सतीश कुमार गुप्ता, निवासी दिल्ली, उम्र 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. संख्या 38/2026 धारा 318(4)/319(2)/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस व धारा 66/66C/66D आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 04 लैपटॉप
2. 15 डेस्कटॉप, 15 मॉनिटर
3. 16 मोबाइल फोन,
4. 16 माइक-हेडफोन,
5. 02 राउडर,
6. 01 मॉडम

साइबर जागरूकता हेतु सुझाव बिंदु--

1. साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा National Cyber Crime Reporting Portal पर शिकायत दर्ज कराएं।
2. किसी भी कंपनी के नाम पर आए कॉल या विज्ञापन पर तुरंत विश्वास न करें; पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच लें।
3. टोल-फ्री नंबर की पुष्टि करें तथा केवल संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से ही कस्टमर केयर नंबर प्राप्त करें।
4. स्क्रीन शेयरिंग से बचें तथा किसी अज्ञात व्यक्ति को किसी भी ऐप के माध्यम से अपने सिस्टम का रिमोट एक्सेस न दें।
5. अपनी बैंकिंग संबंधी जानकारी (OTP, पासवर्ड, डेबिट/क्रेडिट कार्ड विवरण आदि) किसी के साथ साझा न करें।
6. डराने या भय उत्पन्न करने वाले संदेशों से सतर्क रहें—जैसे “आपका सिस्टम हैक हो गया है”; ऐसे संदेश प्रायः साइबर धोखाधड़ी का हिस्सा होते हैं।